न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्रीमती उर्मिला पाण्डेय पत्नी रामबहोरन पाण्डेय उम्र 62 वर्ष निवासी सौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0।

अपीलार्थिया

बनाम

1. विश्वनाथ प्रसाद तनय माधव प्रसाद ब्राम्हण मृतक ला.फौ. निवासी बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0।
2. धीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पिता जवाहर निवासी बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0।

उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध अपर आयुक्त संभाग रीवा के प्रकरण क्रं. 271/अपी./84-85 में पारित आदेश दिनांक 22/11/11

अपील अन्तर्गत धारा 44(3)म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.।

मान्यवर ,

अपील के आधार निम्न है:-

1. यह कि ग्राम सौर की भूमि खसरा नं. 372/1 रकवा 0.121 है यानी 30 डि. को मुवलिक 2820रू. में कौशल प्रसाद पिता नंदकिशोर बरई निवासी तेदुन तहसील सिरमौर जिला रीवा से दिनांक 17/8/09 को क्रय करके कब्जा दखल प्राप्त कर लिया था। तथा उक्त भूमि का विधिवत नामांतरण अपीलार्थिया के नाम हो चुका था इसी भूमि के अंश रकवा 1ए.1 डि. विश्वनाथ प्रसाद तनय माधव प्रसाद ने कच्ची टीप के आधार पर 96 रू. की खरीदी दर्शाकर अपने नाम नामांतरण कराये थे जिसमें उनका नाम दुरूस्त हुआ तथा शेष रकवा 30 डि. जो बचा था उसे अपीलार्थिया ने क्रय करके अपना कब्जा दखल कर रही है। जिस संबधं में अधिनस्थ न्यायालय ने अपर आयुक्त रीवा अपीलार्थिया को बगैर कोई सूचना दिये तथा बगैर कोई पक्षकार बनाये ही विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित करते हुए अपीलार्थिया के बिक्रीत रकवे के नामांतरण को भी उसी के साथ निरस्त कर कानूनी भूल किया है। जो निरस्त किये जाने काबिल है।
2. यह कि उत्तरवादी क्रं. 1 की मृत्यु दिनांक 16/6/2002 को हो चुकी थी वह ला.फौ. था उसके बावजूद भी उसके स्थान पर बगैर उसके वैध वारिसो को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0A.4227–III / 13 जिला–रीवा

श्रीमती उर्मिला पाण्डेय / विश्वनाथ प्रसाद

(1)	(2)	(3)
20.07.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	